

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5106 /

जबलपुर, दिनांक 06/07/2024

II-14-102/21

अपराजिता दुबे, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना दिनांक 22.08.2015 के नियम 38 ग संतान पालन अवकाश के 1 से 7 के अनुसार स्वीकृत संतान पालन अवकाश दिनांक 24.02.2024 से 22.05.2024 तक 89 दिन के निरन्तर में दिनांक 23.05.2024 से 30.09.2024 तक 131 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/5107 /

जबलपुर, दिनांक 06/07/2024

II-14-102/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2460/स्था. ग्वालियर, दिनांक 20/05/2024 के संदर्भ में अपराजिता दुबे, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का निर्धारित प्रपत्र मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)